कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर ।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य-05/2024 **दिनांक 13/06//2024**

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,

वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0 ।

अपने पत्र संख्याःवीजेड-सोशल मीडिया-(18)/2020/10720,दिनांकःजून 04,2020 व पत्र संख्याः41/6-पु-3/2020,दिनांकः04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो पुलिस विभाग एवं उसके अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है ।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 12.06.2024** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. स्वाट/सर्विलांस व जमानिया पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा मादक पदार्थ (हेरोइन) की तस्करी करने वाले 02 अंतर्राज्यीय अभियुक्तों को 670 ग्राम नाजायज हेरोइन, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत 01 करोड़ 25 लाख रुपये है, के साथ गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत् अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के कुशल मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी जमानिया के निकट पर्यवेक्षण में दिनांक 11.06.2024 को स्वाट/सर्विलांस व थाना जमानिया पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अन्तर्राज्यीय मादक पदार्थ (हेरोइन) की अवैध तस्करी करने वाले गिरोह के 02 अभियुक्तों को 670 ग्राम मादक पदार्थ हेरोइन (जिसकी अन्तर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 01 करोड़ 25 लाख रूपये है) के साथ जमानियाँ गंगापुल के पास से समय करीब 20.05 बजे गिरफ्तार किया गया। हेरोइन की अवैध तस्करी करने वाले गिरफ्तारशुदा उपरोक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ विवरणः अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि हम लोग चितरा झारखण्ड से कम कीमत पर नशीले पदार्थ को खरीदकर राजस्थान, कोटा, दिल्ली में ले जाकर ऊँची कीमतों पर बेचते हैं। उनसे मिलने वाले पैसों को आपस में बाँट लेते हैं और उसी पैसे से अपना व अपने परिवार का भरण-पोषण व शौक पूरे करते हैं।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण का नाम, पता व आपराधिक इतिहास-

1. शुभम उर्फ राजू सिंह पुत्र शम्भू सिंह निवासी ग्राम कुर्रा पोस्ट अकोढी थाना मोहनियाँ जनपद कैमूर भभुआ (बिहार) उम्र 28 वर्ष

 मु0अ0सं0 149/2024 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना जमानियाँ जनपद गाजीपुर

 मु0अ0सं0 295/2019 धारा 302/201 भादवि थाना मोहनियाँ जनपद कैमूर भभुआ बिहार

2. विनोद कुमार प्रजापति पुत्र नथुना प्रजापति निवासी रामपुर पोस्ट रामपुर थाना राजपुर भभुआ बिहार उम्र करीब 31 वर्ष

 मु0अ0सं0 149/2024 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना जमानियां जनपद गाजीपुर

बरामदगी का विवरण-

01 . 670 ग्राम हेरोइन (अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 01 करोड़ 25 लाख रु0)

02 . 01 अदद दो पहिया वाहन संख्या UP67A 3456

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर